Hechan Isus The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 418] No. 418] नई दिस्ती, बुधवार, सितम्बर 6, 2006/भाद्र 15, 1928

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 2006/BHADRA 15, 1928

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 21 अगस्त, 2006

सं. फोमा. 150/2006-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2006

सा.का.नि. 535(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और ग्रारम्भ.**—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली. 2006 कहलाएंगे।
 - (ii) ये जुलाई 26, 2006 से लागू समझे जाएंगे।
- 2. विनियम 6आ में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004) में, विनियम 6आ में,
 - (i) ''भारत में निवासी व्यक्ति एकल अथवा एक सूचीबद्ध भारतीय कम्पनी अथवा भारत में पंजीकृत एक म्यूच्युअल फंड होने के कारण'' शब्दों को ''भारत में निवासी व्यक्ति, एकल अथवा एक सूचीबद्ध भारतीय कम्पनी होने के कारण'' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (ii) परंतुक में, खण्ड (ख) में, खण्ड (ii) को हटा दिया जाएगा।
 - (iii) परंतुक में, खण्ड (ख) में, खण्ड (iii) को खण्ड (ii) के रूप में पुन: संख्या दी जाएगी।

3. नया विनियम ६इ को शामिल करना. – मुख्य विनियमावली के विनियम ६आ के बाद निम्नलिखित विनियम शामिल किया जाएगा, अर्थात् :--

''6इ. म्यूक्युअल फंडों द्वारा निवेश

- (1) भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत म्यूच्युचल फंड, विनिर्दिष्ट सीमा के अन्दर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी समुद्रपारीय कम्पनी के शेयरों अथवा निर्धारित बांडों/निर्धारित आय प्रतिभूतियों अथवा एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों अथवा समय-समय पर भारतीय रिजुर्व बैंक द्वारा यथा अनुबद्ध अन्य प्रतिभृतियों में निवेश कर सकते हैं।
- (2) म्यूच्यूअल फॅडों द्वारा विदेशी प्रतिभृति की खरीद और बिक्री से संबंधित प्रत्येक लेन-देन भारत में प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा के माध्यम से किए जाएंगे।''
- 4. विनियम 26 में संशोधन.--मुख्य विनियमावली के विनियम 26 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किए जाएगा, अर्थात्,

''26. म्युच्यु<mark>अल फंडों द्वारा विदेशी प्रतिभ</mark>ूतियों की खरीद इन विनियमों और समय-समय पर सेबी द्वारा अधिसूचित की जाने वाली ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होगी।''

[सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड-IV]

एम. सेबेस्टियन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

- (i) यह प्रमाणित किया जाता है कि इस विनियम के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ii) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 सरकारी राजपत्र में दिनांक नवम्बर 19, 2004 को सं. सा.का.नि. 757(अ) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् अप्रैल 7, 2005 के सा.का.नि. 220(अ), मई 27, 2005 के सा.का.नि. 337(अ) और अगस्त 31, 2005 के सा.का.नि. 552(अ) द्वारा संशोधित किए गए हैं।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st August, 2006

No. FEMA. 150/2006-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2006

- G.S.R. 535(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA. 120/RB-2004 dated July 7, 2004), namely:—
- 1. Short Title and Commencement.—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2006.
 - (ii) They shall be deemed to have come into force from July 26, 2006.
- 2. Amendment of regulation 6B.—In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA. 120/RB-2004 dated July 7, 2004), (hereinafter referred to as the principal regulations) in regulation 6B,
 - (i) for the words, "A person resident in India, being an individual or a listed Indian company or a mutual fund registered in India", the words, "A person resident in India, being an individual or a listed Indian company" shall be substituted.
 - (ii) in clause (b), in the proviso, clause (ii) shall be omitted

- (iii) in clause (b), in the proviso, clause (iii) shall be renumbered as clause (ii).
- 3. Insertion of new regulation 6C.—After regulation 6B of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely:—

"6C. Investment by Mutual Funds

- (1) Mutual Funds registered with the Securities Exchange Board of India, may invest within specified limits, in the shares or the rated bonds/fixed income securities of an overseas company listed on a recognised stock exchange or in Exchange Traded Funds, or other securities as may be stipulated by the Reserve Bank of India from time to time.
- (2) Every transaction relating to purchase and sale of foreign security by Mutual Funds shall be routed through the designated branch of an authorised dealer in India."

4. Amendment of regulation 26:

For Regulation 26 of the principal regulations, the following shall be substituted namely,—

"26. The purchase of foreign securities by Mutual Funds shall be subject to these regulations, and such other terms and conditions as may be notified by the SEBI from time to time."

[No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

M. SEBASTIAN, Chief General Manager

Foot Note:

- (i) It is clarified that no person will be affected as a result of retrospective effect being given to this regulation.
- (ii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004 were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 757 (E) dated 19 November, 2004 and subsequently amended vide No. G.S.R. 220(E) dated 7, April 2005, No. G.S.R. 337(E) dated 27 May, 2005 and No. G.S.R. 552(E) dated 31 August, 2005.